रबी विपणन वर्ष 2008-09 में

समर्थन मूल्य पर

विकेन्द्रीकृत योजनान्तर्गत

गेहूँ उपार्जन

SCSC

मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लि0
ब्लाक-1, तृतीय तल, पर्यावास भवन, मदर टेरेसा मार्ग, अरेरा हिल्स, भोपाल

बोनी रकबा, उत्पादन एवं उपार्जन

- वर्ष 2008-09 में कृषि विभाग के आँकड़ों के अनुसार प्रदेश में गेहॅू की बोनी का अनुमानित रकबा लगभग 36,73,000 हेक्टेयर है।
- प्रदेश में गेहॅू का कुल उत्पादन अनुमानतः 73 लाख मे0टन होने की संभावना है।
- भारत सरकार के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार लगभग 58.20 मे0टन गेहॅू म0प्र0 में उत्पादन की संभावना है।
- पुनरीक्षित उत्पादन अनुमान में से लगभग 20 से 25 लाख मे0टन गेहॅू बाजार में आने की संभावना है।
- उपरोक्त आवक में से 10 लाख मे0टन गेहॅू का उपार्जन किया जाना है।

क्र.	वर्ष	गेहॅू का क्षेत्रफल (लाख हेक्टेयर में)	गेहॅू का उत्पादन(लाख मे0टन)	मंडी आवक (लाख मे0टन)	प्रदेश में उपार्जन (लाख मे0टन
1	2004-05	40.45	72.37	32.52	3.48
2	2005-06	40.58	71.77	51.88	4.83
3	2006-07	36.93	59.58	29.05	0.00
4	2007-08	39.95	73.26	43.14	0.57

रबी विपणन वर्ष 2008-09 में गेहूँ उपार्जन हेतु कार्य योजना

- भारत सरकार की अनुमति से मध्यप्रदेश में गेहूँ उपार्जन कार्य 01मार्च, 08 से समर्थन मूल्य पर प्रारंभ होने जा रहा है। इससे मध्यप्रदेश गेहूँ उपार्जन शीघ्र प्रारंभ करने वाला राज्य बन जाएगा।
    - केन्द्र सरकार द्वारा गेहूँ का समर्थन मूल्य रबी विपणन वर्ष 2008-09 के लिए 1000.00 रूपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है।
    - राज्य शासन द्वारा आदेश क्रमांक एफ-5-2/2008/1/उन्तीस, दिनांक 23-2-08 द्वारा गेहूँ पर 100.00रूपये प्रति क्विंटल के मान से बोनस घोषित किया गया है।
    - म0प्र0 में 1100.00 रूपये प्रति क्विंटल की दर पर किसानों को गेहूँ का भुगतान किया जावेगा ।
    - राज्य शासन द्वारा 100.00 रूपये का बोनस घोषित किये जाने के फलस्वरूप मंडियों में गेहूँ के मूल्य बढ़ने की संभावना है वर्तमान में प्रदेश की अधिकतर मंडियों में माडल रेट 1100.00 रूपये प्रति क्विंटल अथवा इससे अधिक है। केवल कुछ जिले जैसे नरसिंहपुर, सीधी, जबलपुर, सागर इत्यादि में माडल रेट 1100.00 रूपये प्रति क्विंटल से कम परिलक्षित हो रहे हैं। इसका एक कारण स्थानीय अधिकारयों द्वारा पुराना संग्रहित गेहूँ फिलहाल बाजार में आना बताया जा रहा है। मंडी के दरों की निरंतर समीक्षा करते हुए क्षेत्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही किये जाने के प्रबंध किये गये हैं।

गेहूँ उपार्जन हेतु एजेन्सियाँ

- सिविल सप्लाईज कारपोरेशन तथा मार्कफेड द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में गेहूँ का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया जावेगा।
- अधिक उत्पादन वाले संभागों में भारतीय खाद्य निगम तथा नाफेड द्वारा भी समर्थन मूल्य पर उपार्जन कार्य किया जावेगा।
- समस्त एजेन्सियों द्वारा उपार्जन कार्य करने से एजेन्सियों में आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तथा किसानों को भी अपनी उपज विभिन्न एजेन्सियों को विक्रय करने का अवसर प्राप्त होगा।

उपार्जन केन्द्र

- म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लि0 द्वारा 925 सहकारी समितियों के माध्यम से समितियों तथा मंडियों के प्रांगणों में उपार्जन कार्य किया जावेगा। इसके साथ-साथ म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन द्वारा 186 उपार्जन केन्द्रों एवं 10 चयनित मंडियों में सीधे खरीददारी कर उपार्जन कार्य किया जावेगा।
- जिला कलेक्टर उपार्जन एजेन्सियों यथा म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन, मार्कफेड एवं भारतीय खाद्य निगम के मध्य सहकारी समितियों/ विपणन समितियों का बटवारा बैठक तथा आपसी समन्वय के आधार पर करेंगे।

भुगतान व्यवस्था

- सहकारी समितियों को आवश्यकतानुसार साख सीमा स्वीकृत की जाकर त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने की तैयारी की गई है।
- ऐसे उपार्जन केन्द्रों तथा मंडियों में जहाॅ म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन द्वारा सीधे खरीदी की जानी है वहाँ किसानों को समर्थन मूल्य के त्वरित भुगतान हेतु निकटस्थ बैंकों में खाते खुलवाये जाकर पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।
- तत्काल भुगतान मिलने से मंडी में गेहॅू की कीमत समर्थन मूल्य पर बनी रहने की अधिकतम संभावना है।

बारदाना एवं भण्डारण व्यवस्था

- म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन के पास 3.00 लाख मे0टन गेहॅू की खरीद हेतु 12000 गठान बारदाना विभिन्न जिलों में उपलब्ध है। शेष बारदाना व्यवस्था भारतीय खाद्य निगम तथा नाफेड के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है।
- भारतीय खाद्य निगम तथा मार्कफेड द्वारा बारदानों की व्यवस्था डी.जी.एस. एण्ड डी. कोलकत्ता के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है।
- भारतीय खाद्य निगम तथा मार्कफेड द्वारा स्वयं के भण्डार गृहों एवं केन्द्रीय भण्डार गृह निगम के गोदामों में भण्डारण व्यवस्था की जावेगी।
- म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन द्वारा उपार्जित स्कंध को म0प्र0 स्टेट वेयर हाऊसिंग एण्ड लाजिस्टिक कारपोरेशन, केन्द्रीय भण्डार गृह निगम , मार्कफेड तथा भारतीय खाद्य निगम के भण्डार गृहों में सुरक्षित रूप से भण्डारित किया जावेगा।
- प्रदेश में म0प्र0 स्टेट वेयर हाऊसिंग कारपोरेशन के पास 11.05 लाख मे0टन, केन्द्रीय भण्डार गृह निगम के पास 5.34 लाख मे0 टन, भारतीय खाद्य निगम के पास 6.53 लाख मे0टन, मार्कफेड के पास 5.06 लाख मे0टन इत्यादि सम्मिलित करते हुए कुल लगभग 40.00 लाख मे0टन भण्डारण क्षमता के भण्डार गृह निर्मित है।
- इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र के लगभग 26 लाख मे0टन क्षमता वाले भण्डार गृह निर्मित है । इन भण्डार गृहों का उपयोग करके उपार्जित गेहॅू के भण्डारण की व्यवस्था की जावेगी।

समीक्षा एवं नियंत्रण

- उपार्जन कार्य की समीक्षा तथा कृषकों की समस्या/शिकायतों के निवारण हेतु मुख्यालय स्तर पर कंट्रोल रूम की स्थापना की जा रही है ।
- कंट्रोल रूप में टोलफ्री नंबर भी कृषकों की सुविधा के लिए स्थापित किया जा रहा है ।
- मुख्यालय स्तर से अधिकारियों को उपार्जन कार्य में सहायता करने तथा कार्य की समीक्षा व समस्याओं के निराकरण हेतु विभिन्न जिलों में भेजा जावेगा।